



कार्यालय सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला चिकित्सालय सुकमा



E.Mail ID - cssdh.sukma@gmail.com / Phon no - 07864-284273

क्रमांक/ 1233 /सि.स.सह.अ.अ/स्था/2026

सुकमा, दिनांक 20/05/2026

—:: विज्ञापन ::—

जिले में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम, गैर संचारी कार्यक्रम, आयुष्मान आरोग्य मंदिर एवं जिला अस्पताल के बेहतर संचालन के लिये जिले में जिला आर.एम.एन.सी.एच.ए. सलाहकार, एन.सी.डी. सलाहकार, अस्पताल प्रबंधक के पदों पर अस्थाई रूप से डी.एम.एफ. मद के अंतर्गत भर्ती किये जाने हेतु दिनांक 04/06/2026 तक कार्यालयीन समय प्रातः 10:00 बजे से सायं 5:30 बजे तक अहर्ताधारी योग्य एवं इच्छुक उम्मीदवार कार्यालय सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला चिकित्सालय सुकमा छ.ग. पिन कोड 494111 के पते पर केवल रजिस्टर्ड डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से पूर्ण भरे हुए एवं लिफाफे पर पद नाम लिखे हुए आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। नियत अवधि पश्चात प्राप्त आवेदन पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। पद का विस्तृत विवरण निर्धारित मापदण्ड निम्नानुसार हैं।

रिक्त पद, संविदा वेतन एवं योग्यता

S.N	Post Name	Salary	No. of Vacant Post	Essential Educational Qualification	Desirable
1	2	3	4	5	6
	अस्पताल प्रबंधक	35000/-	01 (UR -1 Mukt)	Master Degree in Hospital Administration (Regular)/Health Management (Regular)/Health Administration (Regular) With 01 year of post qualification relevant work experience in Health Sector & Knowledge of MS Office. Passed out from UGC recognised Universities/Intitutions.	
	जिला सलाहकार, आर.एम.एन.सी. एच.ए.	35000/-	01 (UR -1 Mukt)	M.P.H.(Regular) with 01 year of post qualification relevant work experience in Health Sector & Knowledge of MS Office OR M.H.A. (Health) (Regular) with 01 year of post qualification relevant work experience in Health Sector & Knowledge of MS Office. OR M.B.A. (Hospital & Health Care) (Regular) with 01 year of post qualification relevant work experience in Health Sector & Knowledge of MS Office. Passed out from UGC recognised Universities/Intitutions.	
	जिला सलाहकार एन.सी.डी. सलाहकार	35000/-	01 (UR -1 Mukt)	M.P.H.(Regular) with 01 year of post qualification relevant work experience in Health Sector & Knowledge of MS Office OR M.H.A. (Health) (Regular) with 01 year of post qualification relevant work experience in Health Sector & Knowledge of MS Office. OR M.B.A. (Hospital & Health Care) (Regular) with 01 year of post qualification relevant work experience in Health Sector & Knowledge of MS Office. Passed out from UGC recognised Universities/Intitutions.	

Kapoor

:-: चयन प्रक्रिया के संबंध में दिशा निर्देश :-:

1. आवेदन पत्र के संबंध में:-

- 1.1. आवेदक जिले के वेबसाईट में प्रकाशित विज्ञापन के आधार पर जिले के वेबसाईट www.sukma.gov.in में विस्तृत विज्ञापन एवं आवेदन पत्र का प्रारूप डाउनलोड कर सकते हैं।
- 1.2. अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त संस्था/विश्वविद्यालय से तथा प्रमाण पत्र, विज्ञापन आवेदन के अंतिम दिवस/पूर्व धारित होना अनिवार्य है।
- 1.3. संलग्न समस्त दस्तावेज तथा प्रमाण पत्र एवं फोटो स्व प्रमाणित/स्व हस्ताक्षरित/self attested करना अनिवार्य है।
- 1.4. आवेदन पत्र में निर्धारित स्थानों पर आवेदक का हस्ताक्षर करना अनिवार्य है, हस्ताक्षर नहीं होने पर अपात्र घोषित किया जावेगा।
- 1.5. निर्धारित आवेदन प्रारूप में अंतिम तिथि तक **कार्यालय सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला चिकित्सालय सुकमा (कलेक्टरेट परिसर) सुकमा, जिला सुकमा पिनकोड 494111** में आवेदन रजिस्टर्ड अथवा स्पीड पोस्ट (डाक) के माध्यम से आमंत्रित किया जाता है अन्य किसी भी माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किया जावेगा।
- 1.6. अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की तिथि तक समस्त शैक्षणिक एवं अन्य अर्हतायें पूर्ण करना आवश्यक है। अन्यथा आवेदन पत्र अस्वीकार्य कर दिया जायेगा तथा उक्त संबंध में कोई अभ्यावेदन स्वीकार्य नहीं होगा।
- 1.7. संलग्न आवेदन पत्र में स्पष्ट रूप से आवेदक का नाम, पूर्ण पता, आवेदित पद का नाम, पद क्रमांक, वर्ग (UR/ST/SC/OBC) पूर्ण रूप से भरा होना आवश्यक है एवं संलग्न दस्तावेज की संख्या का उल्लेख होना अनिवार्य है। उक्त के अभाव में आवेदन निरस्त माना जावेगा। आवश्यक दस्तावेजों की स्व प्रमाणित एक-एक प्रति संलग्न करना आवश्यक है।
- 1.8. लिफाफे के ऊपर प्रति- **कार्यालय सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला चिकित्सालय सुकमा (कलेक्टरेट परिसर) सुकमा, जिला सुकमा पिनकोड 494111, प्रेषक - आवेदक का नाम पता, तथा आवेदित पद का नाम** लिखना अनिवार्य है अन्यथा कि स्थिति में लिफाफा नहीं खोलते हुए संबंधित को अपात्र कर दिया जायेगा, उस पर कोई भी विचार नहीं किया जायेगा।
- 1.9. दस्तावेज सत्यापन के मूल दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में अभ्यर्थी को अपात्र माना जावेगा।
- 1.10. चयन उपरांत सभी चयनित उम्मीदवारों का अन्य जगहों पर आवेदन करने के लिए संबंधित अधिकारी से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) लेना अनिवार्य होगा।
- 1.11. आवेदक को छत्तीसगढ़ का निवासी होना अनिवार्य है। सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- 1.12. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के अभ्यर्थियों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य का **स्थायी जाति प्रमाण पत्र** प्रस्तुत करना होगा। अस्थायी जाति प्रमाण पत्र वाले उम्मीदवार को अपात्र किया जायेगा।
- 1.13. अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के अभ्यर्थियों का राज्य स्तर के OBC जाति प्रमाण पत्र होना आवश्यक है।
- 1.14. अभ्यर्थी आवेदन पत्र के निर्दिष्ट स्थान पर स्वयं का नवीनतम पासपोर्ट आकार का फोटो स्वयं के द्वारा सत्यापित कर चिपकायें।
- 1.15. आवेदन पत्र के साथ संलग्न समस्त दस्तावेजों को अच्छी तरह से नस्तीबद्ध किया जावे, आवेदन पत्र निर्धारित क्रम में ही व्यवस्थित करे (1 आवेदन पत्र, 2. निवास प्रमाण पत्र, 3. जाति प्रमाण पत्र, 4 शैक्षणिक योग्यता, 5 अनुभव प्रमाण पत्र, 7. अन्य प्रमाण पत्र)
- 1.16. अपूर्ण, अस्पष्ट एवं त्रुटि पूर्ण आवेदन पत्रों के संबंध में उम्मीदवारों को कोई सुचना नहीं दी जावेगी। प्रत्येक आवेदकों को चाहिए कि विज्ञापन में दिए गए निर्देशों तथा आवेदन पत्र में सभी जानकारी देखकर व सावधानी पूर्वक सही एवं पूर्ण जानकारी भरें। यदि आवेदन पत्र में कोई भी जानकारी अपूर्ण या त्रुटी पूर्ण दी जाती है तो अपूर्ण के आधार पर आवेदक को बिना पूर्व सुचना दिए आवेदन पत्र चयन के किसी भी स्तर पर निरस्त किया जा सकेगा। एक बार आवेदन जमा कर दिये जाने के बाद त्रुटी सुधार के लिए किया गया कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जावेगा।

Kapra

2. आयु सीमा :-

- 2.1. आयु सीमा – संविदा भर्ती के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम 70 वर्ष चिकित्सकीय पद हेतु तथा 64 वर्ष प्रबंधकीय पद हेतु होगी। आयु गणना हेतु आधार वर्ष 01.01.2026 होगा। आयु सीमा में छ. ग. शासन द्वारा दिये जाने वाले सभी छूट सम्मिलित है।
- 2.2. जन्म तिथि के प्रमाण हेतु 10वीं अंक सूची/जन्म प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।

3. शैक्षणिक योग्यता के संबंध में स्पष्टीकरण

- 3.1. अनिवार्य शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता मान्यता प्राप्त संस्थान/मंडल/विश्वविद्यालय से होने चाहिए।
- 3.2. अंक ग्रेड पद्धति से होने की दशा में निम्नानुसार अंक लिया जावेगा

3.2.1

SN	Grade	Marks Range	प्रदाय की जाने वाली अंक	रिमांक
1	A1	91-100	91	यदि अंक सूची में Grade है तो इसकी गणना 3.2.1 के रूप में मान्य होगा
2	A2	81-90	81	
3	B1	71-80	71	
4	B2	61-70	61	
5	C1	51-60	51	
6	C2	41-50	41	
7	D	33-40	33	
8	E1	21-32		
9	E2	00-20		

3.2.2

SN	Grade Point	Marks Range	प्रदाय की जाने वाली अंक	रिमांक
1	10.0	91-100	91	यदि अंक सूची में Grade Point है तो इसकी गणना 3.2.2 के रूप में मान्य होगा उदाहरण के लिए 8.5 अंक हो तो 71+5= 76 अंक लिया जावेगा
2	9.0	81-90	81	
3	8.0	71-80	71	
4	7.0	61-70	61	
5	6.0	51-60	51	
6	5.0	41-50	41	
7	4.0	33-40	33	

3.2.3

SN	Grade	Marks Range	प्रदाय की जाने वाली अंक	रिमांक
1	A+	91-100	91	यदि अंक सूची में Grade है तो इसकी गणना 3.2.3 के रूप में मान्य होगा
2	A	81-90	81	
3	B+	71-80	71	
4	B	61-70	61	
5	C+	51-60	51	
6	C	41-50	41	
7	D	33-40	33	

4. भर्ती प्रक्रिया :-

- 4.1 प्राप्त आवेदनों एवं संलग्न दस्तावेजों की स्कूटनी उपरांत दावा आपत्ति हेतु पात्र अपात्र अभ्यर्थियों की सूची, कौशल/दक्षता परीक्षा/साक्षात्कार हेतु बुलावा, चयन सूची एवं अन्य सूचना तथा निर्देश का प्रकाशन कार्यालय कार्यालय सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला चिकित्सालय सुकमा के सूचना पटल एवं जिले के वेबसाइट www.sukma.gov.in में चस्पा/प्रसारित की जायेगी। अन्य किसी माध्यम से पृथक से कोई सूचना अभ्यर्थी को नहीं दी जायेगी। अभ्यर्थी समय समय पर नियमित रूप से जिले के वेबसाइट www.sukma.gov.in का अवलोकन करते रहें।
- 4.2 प्राप्त आवेदनों में से रिक्तियों के आधार पर निम्न तालिका में दिये अनुसार अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन तथा लिखित परीक्षा/कौशल परीक्षा/साक्षात्कार/चयन हेतु आमंत्रित किया जावेगा :-

4.3

क्र.	कुल विज्ञापित पदों की संख्या	कौशल परीक्षा/साक्षात्कार लिये जाने हेतु अभ्यर्थियों की संख्या
1	1 से 10	कुल विज्ञापित रिक्त पदों का 10 गुना

4.4 दस्तावेज सत्यापन तथा लिखित परीक्षा/कौशल परीक्षा/साक्षात्कार के समय निम्न दस्तावेजों की मूलप्रति के साथ अभ्यर्थियों को उपस्थित होना अनिवार्य है :-

1. आवेदन पत्र
2. सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र
3. सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र
4. दसवीं/बारहवीं की अंकसूची
5. शैक्षणिक योग्यता की अंकसूची (सभी वर्षों का) तथा जीवित पंजीयन
6. अनुभव प्रमाण पत्र/अनापत्ति प्रमाण पत्र (केवल शासकीय संस्था/उपक्रम/निगम मण्डल का नियोक्ता द्वारा प्रदाय अनुभव प्रमाण पत्र मान्य होगा, न्यूनतम एक वर्ष या अधिक अवधि का अनुभव मान्य होगा।
7. वैध मूल पहचान पत्र (आधार कार्ड/पैनकार्ड/वोटरआई.डी./ड्राईविंग लायसेंस एवं अन्य वैध पहचान पत्र)
8. अन्य आवश्यक दस्तावेज।
9. 01 पासपोर्ट साईज फोटो

5. अंतिम चयन सूची निम्नांकित आधार पर बनाई जावेगी :-

- 5.1 शैक्षणिक योग्यता (Essential Educational Qualification) में प्राप्तांकों का प्रतिशत का- 65 प्रतिशत अंक।
- 5.2 अनुभव प्रमाण पत्र केवल शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थान (केन्द्र व छ.ग. शासन का उपक्रम) का ही मान्य होगा। पद से संबंधित कार्यानुभव पर प्रति वर्ष 02 अंक व अधिकतम 10 अंक एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों को प्रति वर्ष 03 अंक व अधिकतम 15 अंक प्रदान किया जावेगा। वर्ष पूर्ण होने पर ही 01 वर्ष की गणना की जावेगी। (आवेदक को अनुभव प्रमाण पत्र के साथ कार्यालय का नियुक्ति आदेश पत्र संलग्न करना अनिवार्य होना, कार्यालय का नियुक्ति आदेश पत्र संलग्न नहीं होने की स्थिति में अनुभव के अंक प्रदान नहीं किया जावेगा।)
- 5.3 पद से संबंधित अनुभव होने पर ही अभ्यर्थी को अनुभव के अंक प्रदान किये जायेंगे।
- 5.4 शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्था में कार्यरत अभ्यर्थियों को नियोक्ता द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। जिसका जारी दिनांक से 06 माह से पूर्व का ना हो।
- 5.5 उपरोक्तानुसार शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव के अंकों को जोडकर मेरिट सूची अनुसार अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा (20 अंक) अनुसार सूची तैयार की जावेगी।
- 5.6 लिखित/कौशल/साक्षात्कार/कम्प्यूटर परीक्षा - 20 अंक में से न्यूनतम 07 अंक (33 प्रतिशत) प्राप्त करना अनिवार्य होगा, 07 से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी चयन की प्रक्रिया में अपात्र होंगे तथा अनंतिम मेरिट सूची में स्थान नहीं दिया जावेगा।


6. प्रतीक्षा सूची :-

उक्त पद के लिये प्रवर्ग वार प्रतीक्षा सूची भी जारी की जावेगी, जिसकी वैधता जारी दिनांक से एक वर्ष तक अथवा नवीन भर्ती प्रक्रिया सम्पन्न नहीं होने तक जो पहले हो तक रहेगी। इस समयावधि में स्वीकृत नये पद/त्यागपत्र अथवा किसी भी कारण से रिक्त होने वाले समान पद समान योग्यता पदों को भी इसी सूची से भरा जा सकेगा।

7. भर्ती के संबंध में अन्य शर्तें :-

- 7.1. मात्र आवेदन करने पर ही किसी का चयन सुनिश्चित नहीं होगा। अंतिम चयन सूची जारी करने के पूर्व मूल प्रमाण पत्रों की जांच की जायेगी। इसमें सही पाये जाने पर ही उनके चयन हेतु अग्रिम कार्यवाही की जावेगी। चयन के पश्चात् भी किसी भी समय किसी पत्र/प्रमाण पत्र या अन्य त्रुटि दोनों पक्षों से (किसी भी पक्ष की ओर से) पाये जाने की अवस्था में नियमानुसार सेवा से पृथक किये जाने की कार्यवाही की जावेगी।
- 7.2. समान अंक प्राप्त होने की दशा में मूल शैक्षणिक योग्यता एवं जन्मतिथि के आधार पर वरीयता तय की जावेगी अर्थात् जिस अभ्यर्थी की जन्म तिथि पहले होगी, उसके अनुसार वरीयता में उच्च क्रम पर रखा जावेगा। विज्ञापन अनुरूप शैक्षणिक (Qualification) योग्यता के क्रम संख्या के आधार पर प्राथमिकता दी जावेगी।
- 7.3. शैक्षणिक योग्यता जिस संस्था से प्राप्त है उस संस्था का यू.जी.सी., ए.आई.सी.टी.ई. एवं संबंधित कौंसिल से मान्यता प्राप्त होना चाहिये।
- 7.4. मानदेय :-सेवा अवधि के दौरान प्रति माह एकमुश्त मानदेय देय होगा। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार का भत्ता/सुविधा देय नहीं होगा।

- 7.5. पदों के साथ वर्णित वेतन सांकेतिक है। राज्य स्वास्थ्य समिति के निर्णय से पदों के मानदेय में परिवर्तन संभावित है।
- 7.6. नियुक्त कर्मचारी का प्रति वर्ष कार्य मूल्यांकन किया जावेगा। कार्य मूल्यांकन संतोषप्रद होने की स्थिति में संविदा सेवा अवधि की वृद्धि आगामी वर्ष हेतु की जा सकती है। नियमित भर्ती किये जाने पर संविदा पद स्वतः निरस्त हो जायेंगे। भारत सरकार द्वारा प्राप्त आर.ओ.पी. में स्वीकृति के आधार पर ही संविदा सेवा अवधि में वृद्धि की कार्यवाही की जावेगी।
- 7.7. चयनित अभ्यर्थी को कार्य में उपस्थिति होने के पश्चात् मानव संसाधन नीति के नियमानुसार एकमाह का नोटिस देकर अथवा एक माह का वेतन जमा कर संविदा नियुक्ति समाप्त की जा सकती है। इसी प्रकार अभ्यर्थी को त्याग पत्र देने के पूर्व एक माह पहले सूचना देना होगा अन्यथा उनके द्वारा एकमाह का वेतन जमा कर त्याग पत्र दिया जा सकता है।
- 7.8. संविदा भर्ती में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी आरक्षण नियम एवं समय समय पर जारी अन्य निर्देश/आदेश/नियम यथा संशोधित लागू होंगे।
- 7.9. उक्त संविदा पद अस्थानांतरित होगा तथा नियुक्ति आदेशानुसार पदस्थापना स्थल में उपस्थिति देना अनिवार्य होगा। निर्धारित समय व पदस्थापना स्थल में अपनी उपस्थिति नहीं देने की स्थिति में चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति स्वतः निरस्त हो जायेगी।
- 7.10. नियुक्ति के दौरान अथवा जांच में किसी भी अभ्यर्थी का दस्तावेज गलत पाये जाने की स्थिति में उसे अपात्र या नियुक्ति के बाद भी चयन समिति के द्वारा नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिया जा सकेगा।
- 7.11. विज्ञापन में विज्ञापित पद अनुरूप निर्धारित अभ्यर्थी के ही आवेदन स्वीकार किये जायेंगे।
- 7.12. आवेदित पद पर चयनित होने मात्र से नियुक्ति का अधिकार प्राप्त नहीं होगा। अंतिम रूप से नियुक्ति रिक्त पदों की वास्तविक उपलब्धता तथा अन्य आवश्यक प्रक्रिया/मापदण्डों पर निर्भर करेगी।
- 7.13. चयन प्रक्रिया के किसी भी चरण में यह पाया जाता है कि किसी उम्मीदवार द्वारा किसी भी प्रकार से किसी प्रकार का दबाव डाला/डलवाया जा रहा है या निष्पक्ष चयन प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है तो उनका आवेदन पत्र अमान्य कर दिया जावेगा तथा इस संबंध में कोई भी दावा मान्य नहीं किया जावेगा।
- 7.14. आवेदक को भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने हेतु किसी भी प्रकार की यात्रा भत्ता (टी.ए.डी.ए.) देय नहीं होगा।
- 7.15. ऐसे अभ्यर्थी जिनकी सेवा अनुशासनहीनता/वित्तीय अनियमितता/अनुचित व्यवहार के कारण राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन या अन्य किसी भी शासकीय विभाग द्वारा समाप्त की गई है, चाहे वे किसी भी पद पर रहे हों, उन्हें अपात्र उम्मीदवारों की श्रेणी में रखा जायेगा।
- 7.16. भर्ती प्रक्रिया के दौरान होने वाले किसी भी विवाद एवं समस्या पर अंतिम निर्णय लेने का सर्वाधिकार कलेक्टर एवं अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति को होगा जो सभी आवेदकों को मान्य होगा।
- 7.17. शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्था में कार्यरत अभ्यर्थियों को नियोक्ता /सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। अनुभव अंक हेतु नियोक्ता/सक्षम अधिकारी द्वारा जारी हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र को ही मान्य किया जावेगा।
- 7.18. आवेदक दस्तावेज सत्यापन एवं लिखित/कौशल/साक्षात्कार/कम्प्युटर परीक्षा के समय अपना समस्त दस्तावेज (मूल प्रति एवं 01 सेट छायाप्रति) के साथ निर्धारित समय से 2.00 घन्टा पहले अपने प्रमाण पत्र का सत्यापन हेतु उपस्थित रहेंगे।
- 7.19. ऐसे अभ्यर्थी जिनकी सेवायें राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन/किसी भी शासकीय/अर्द्धशासकीय विभाग/शासन द्वारा वित्त पोषण संस्थाएँ द्वारा अनुशासनहीनता/वित्तीय अनियमितता/अनुचित व्यवहार के कारण से सेवा समाप्त की गई है, उन्हें अपात्र उम्मीदार की श्रेणी में रखा जावेगा।


 सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक
 जिला चिकित्सालय सुकमा

17. शैक्षणिक योग्यता एवं तकनीकी योग्यता :-

(सत्यापित प्रमाणपत्र) संलग्न करें

क्र०	उत्तीर्ण परीक्षा का नाम	बोर्ड/वि.वि.का नाम	परीक्षा उत्तीर्ण करने का वर्ष	पूर्णांक	प्राप्तांक	प्रतिशत
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						

18. कार्यानुभव :-

(सत्यापित प्रमाणपत्र) संलग्न करें

क्र०	पद का नाम	कार्यालय/संस्थान का नाम	कुल कार्य अवधि	कार्य विवरण	रिमार्क
1					
2					
3					

19. संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची :-

- 1 2 3 4
 5 6 7 8
 9 10 11 12

आवेदक/आवेदिका के हस्ताक्षर

घोषणा पत्र

“मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि ऊपर वर्णित समस्त विवरण एवं संलग्न अभिलेख मेरी व्यक्तिगत जानकारी और विश्वास के अनुसार पूर्णतः सत्य है। यदि कोई भी जानकारी/अभिलेख असत्य पाई जाती है तो मेरी उम्मीदवारी/नियुक्ति निरस्त किये जाने योग्य होगी एवं मेरे विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी।”

Kajano

दिनांक.....

स्थान

आवेदक/आवेदिका के हस्ताक्षर

नाम.....

पता

मोबाईल नंबर.....